परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या 11 /एमडी/एसओ/2015 दिनांक 09 अप्रैल, 2015

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय कार्यशाला एवं डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर द्वारा निगम की बसों की बॉडी का निर्माण किया जाता है। बस बॉडी निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दोनो कार्यशालाओं में जनशक्ति की कमी के दृष्टिगत बाह्य स्रोत से जनशक्ति के प्रयोग की भी अनुमन्यता प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुल मिलाकर उत्कृष्ट श्रेणी की बस बॉडी निर्माण के लिए दोनो कार्यशालाओं को समुचित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत यह अपेक्षा होती है कि, दोनो कार्यशालाओं में निर्मित होने वाली बस बॉडी की गुणवत्ता उत्कृष्ट श्रेणी की हो, जिससे बस बॉडी की आयु अधिक रहने के साथ ही यात्रियों/जनमानस में निगम क़ी बसों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो।

अतः तत्काल प्रभाव से आदेश किया जाता है कि, निगम की उक्त दोनो कार्यशालाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि, निजी क्षेत्रों की अच्छे बस बॉडी निर्माताओं के समतुल्य गुणवत्ता की बस बॉडी का निर्माण किया जाये तथा क्षेत्रीय अधिकारी नयी बसों के रख–रखाव तथा संचालन के प्रति संवेदनशील रहते हुए बसों का सुरक्षित संचालन करायें। प्रधान प्रबन्धक(क्वालिटी कन्ट्रोल) नयी बस बॉडी का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगें कि, बॉडी का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तायुक्त किया गया है। प्रधान प्रबन्धक(क्वालिटी कन्ट्रोल) द्वारा प्रत्येक बस को क्षेत्र में भेजने से पूर्व बस का निरीक्षण करके OK प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

नई बस बॉडी हेतु न्यूनतम एक वर्ष की defect liability period घोषित करते हुए यह भी निर्देश दिया जाता है कि, दोनो कार्यशालाओं अथवा बाह्य स्रोत से निर्मित निगम की बस बॉडी में निजी बस बॉडी निर्माताओं की भांति एक वर्ष तक किसी प्रकार की कमी/डिफेक्ट (दुर्घटना आदि को छोड़कर) आने पर बस बॉडी की रिपेयरिंग अथवा पेन्टिंग क्षेत्रीय/डिपो कार्यशाला में नही की जायेगी अपितु इस अवधि में आने वाली किसी भी कमी/डिफेक्ट को सम्बन्धित कार्यशाला भेजकर सही कराया जायेगा तथा जॉचोपरांत यह पाये जाने पर कि लापरवाही की गई है तो इस कार्यवाही में व्यय होने वाली धनराशि एवं बस संचालन से विरत रहने के कारण निगम को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति प्रधान प्रबन्धक(क्वालिटी कन्ट्रोल) एवं सम्बन्धित कार्यशाला के सम्बन्धित अधिकारियों/सुपरवाईजर्स के वेतन से की जायेगी।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्र0प्र0(केन्द्रीय कार्यशाला/रा0म0लो0 कार्यशाला/क्वालिटी कन्ट्रोल) उ0प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय/सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0(डिपो), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।

9/04

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

letter pad (MD-SO)

Downloaded from www.upsrtc.com